

बिहार विधान सभा में पूछा जानेवाला तारांकित प्रश्न

<p>श्री अब्दुल बारी सिद्दीकी, मा० स०वि०स० द्वारा दि०-22.02.13 को पूछा जाने वाला तारांकित प्रश्न सं०-पुन-2 के संबंध में</p> <p>क्या मंत्री, आपदा प्रबंधन विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि:-</p>	<p>श्रीमती रेणु कुमारी कुशवाहा, मंत्री, आपदा प्रबंधन विभाग बिहार, पटना</p>
<p align="center">प्रश्न</p>	<p align="center">उत्तर</p>
<p>(क) क्या यह बात सही है कि गैर प्राकृतिक आपदा में मरने या घायल होने पर उनके आश्रित और प्रभावित लोगों को अनुग्रह अनुदान देने की व्यवस्था है जिसके तहत वित्तीय वर्ष 2012-13 में आपदा प्रबंधन विभाग द्वारा चौदह विभागों को रू० 95.57 लाख दिया गया था ।</p>	<p>वस्तुस्थिति यह है कि गैर प्राकृतिक आपदा में मरने या घायल होने पर प्रभावित व्यक्तियों /परिवारों को अनुग्रह अनुदान देने की व्यवस्था है, जिसके तहत वित्तीय वर्ष 2012-13 में आपदा प्रबंधन विभाग द्वारा चौदह जिलों को कुल रू० 95.575 लाख (पनचानवे लाख सनतावन हजार पाँच सौ रू०) आवंटित किया गया ।</p>
<p>(ख) क्या यह बात सही है कि खंड -1 में वर्णित राशि में से मात्र रू० 59.00 लाख राशि के खर्च होने का ब्योरा विभाग में उपलब्ध है ।</p>	<p>आंशिक स्वीकारात्मक । सी०टी०एम०आई०एस० से प्राप्त प्रतिवेदन के अनुसार कुल आवंटित राशि रू० 95.575 लाख के विरुद्ध जिलों द्वारा रू० 77.50 लाख का व्यय किया गया है ।</p>
<p>(ग) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं तो शेष रू० 36.57 लाख गबन करने के लिए कौन-कौन पदाधिकारी दोषी हैं और सरकार उनके विरुद्ध कौन सी कार्रवाई कब तक करने का विचार रखती है ।</p>	<p>अस्वीकारात्मक । सी०टी०एम०आई०एस० से प्राप्त प्रतिवेदन के अनुसार पाँच जिलों मुजफ्फरपुर, मधेपुरा, जहानाबाद, औरंगाबाद एवं सहरसा के पास अव्यवहृत शेष आवंटन रू० 18.075 लाख है, जिसके आलोक में उक्त जिलों को निदेशित किया गया है कि या तो व्यय प्रतिवेदन उपलब्ध कराया जाय, अन्यथा आवंटित की गई राशि को अविलम्ब विभाग को वापस की जाय । इस प्रकार उक्त मामला गबन का नहीं है ।</p>

P.T.O.

बिहार सरकार
आपदा प्रबंधन विभाग

ज्ञापांक -04/वि0स0ता0प्र0-4/2013/...../आ0प्र0, पटना-15, दि0-

प्रतिलिपि प्रशाखा पदाधिकारी, बिहार विधान सभा सचिवालय को उनके पत्रांक -6628 दि0-13.02.2013 के क्रम में 03(तीन) प्रतियों में /उप सचिव, संसदीय कार्य विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

ह0/-
(सचिवदानंद चौधरी)
सरकार के अवर सचिव

ज्ञापांक -04/वि0स0ता0प्र0-4/2013/...../आ0प्र0, पटना-15, दि0-

प्रतिलिपि सुश्री कविता कुमारी, आई0टी0 मैनेजर, आपदा प्रबंधन विभाग, बिहार, पटना को इसे विभागीय वेबसाईट पर शीघ्र अपलोड करने हेतु प्रेषित ।

सरकार के अवर सचिव